\43

विस मंत्रालय में ग्राधिक कार्य विभाग में राज्य संत्री (श्री एड्वर्डो फेलेरियो): (क) संभवत: इत प्रश्न का आशय ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में सेवा क्षेत्र यो ना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिये िला ऋण योजनाएं तैयार करने स है । भारतीय रिवंबैंक ने सुचित किया है कि मधियांत्र बैंक शाखाओं ने म्रान-**अप**ने तथा **क्षेत्रों** त संबंधित यो लाएं तैयार कर ली हैं। आदा क्षेत्र यो*ा*ना के भ्रन्तर्गत, योजना तैजार कर**ते** समय स्थानीय विधायको ग्रीर संसद सदस्यों त परामर्शकरना प्रपेक्षित नहीं है। प्रश्वनता, भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रप्रैल, 1989 के परिपत्न के अनु तर, स्थानीय विधायको तथा संसद सदस्यों को अर्ध-वः विक िला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में शामिल करने की प्रपेक्षा की ाती है िनमें इन योजनात्रों के अन्तर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की जानी होती है।

(ख) ग्रौर (ग) चूंकि बबा क्षेत्र यो जा 1 अप्रैल, 1988 स लाग की गई हैं, म्रतः इन योजनाम्रों के ग्रन्तर्गत, सम्चे राज्य क लिये समेकित लक्ष्यों संसंविधित द्याकड़े उपजब्ध कराना समयपूर्व होगा । अलबत्ता, वर्ष 1988 की जिला ऋण योजनाश्रों के ब्राधार पर, महाराष्ट्र राज्य के लिये 1148.45 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था।

मह।राष्ट्र के निर्यातकों द्वार। घटिया भौर गर-सौषधीय झरंडी के तेल का निर्पात

3011. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की ∌पा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कुछ निर्यातकों ने घटिया और श्रीपधी। भरंडी ने तेल का निर्यात करके नकद प्रतिपृति महायता की मांग की है;
- (ख) बदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है 🗧
- ्(ग) क्या तरकीर ने इस मामले की ांच की है; श्रीर
- ं (घ) ादि हां, तो उसका क्या परिणाम निकसा ?

वाणिष्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दास मुंशी) । (क) देश से निर्यात की गयी ग्ररण्डा तेल की सभी खेपों को बनस्पति तेल ग्रेडिंग तथा विपणन निथम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार, सारणीबद्ध किया गया था, यह नियम कृषि उपन (प्रेडिंग तथा विपणन) अधिनियम, 1937 क ग्रन्तर्गत बनाए गए थे । तदन्तार इनका निरीक्षण तथा प्रमाणन किया ाता है । इतिलए, घटिया ग्रौषधोय ग्ररण्डो क तेल के निर्यात का प्रमन हो नहीं उठता है। ग्रीवधीय किस्म के ग्रलावा दूसरी तरह के ग्ररण्डी के तेल क निर्यात को भी अनुमति है। फिर भी इस समय केवल भौजधीय किस्म के भ्ररण्डो के तेल के निर्यात पर ही नकद मुद्यावना सहायता स्वीकार्य है।

(ख) स (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Central take over of the control of **Brahmaputra Board**

3012. SHRI AMRITLAL BASUMA-TARY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state.

- (a) whether the Central Government propose to take over the control of Brahmaputra Board in order to control floods in Assam:
- (b) whether any steps have since been taken in this direction; and
 - (c) if so, what ar the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS (SHRI M. M. JA-COB): (a) to (c) According to provisions of the Brahmaputra Board Act, No. 46 of 1980, the Central Government has set up a Board in 1982 for planning and integrated implementation of the measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley. The Board has since prepared draft masfer plans for the main Brahmaputra and the Barak sub-basins.